न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28 / 2021 **दायर दिनांकः 12.02.2021**

उनवान

1. ईन्द्रदेव आयु 43 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति नाथ निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0
बाबत इन्द्राज दुरूश्ती

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

निर्णय **दिनांक 23 / 05 / 2022**

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्र्तगत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में आराजी खाता संख्या 38 का ख0नं0 34 का रकबा 0.48 है0, ख0नं0 36 का रकबा 1.24 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.72 है0 राजस्व रिकार्ड दर्ज खाता स्थित है। वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 पेश है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का नामान्तकरण खुलवाते समय वादी के नानाजी ने वादी का राजस्व रिकार्ड में घर पर बोलता नाम घनश्याम लिखवा दिया। इस वजह से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम घनश्याम गलत दर्ज हो गया। जबकि वादी का समस्त राजकीय दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंक तालिका माध्यममिक शिक्षा बोर्ड, परिवार राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र में वास्तविक सही नाम ईन्द्रदेव ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम घनश्याम गलत दर्ज होने की वजह से वादी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का कृषि विकास करने हेतु कृषि ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहा है तथा राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ एवं परिलाभों से वंचित हो रहा है। इस वजह से वादी राजस्व रिकार्ड

में दर्ज घनश्याम गलत नाम के स्थान पर ईन्द्रदेव नाम दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 38 में दर्ज गलत नाम घनश्याम के स्थान पर ईन्द्रदेव सही नाम दर्ज करवाकर नाम दुरूस्त करवा पाना संभव नही है। यदि वादी का नाम दुरूस्त नहीं हो पाया तो वादी सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जावेगा। जिसके फल स्वरूप वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है। अतः वादी वाद पेश कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी निम्न आशय की पारित की जावे कि वाके ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 38 में दर्ज घनश्याम के स्थान पर वादी का सही नाम ईन्द्रदेव दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। वाद कारण प्रथम बार व अन्तिम बार दिनांक 07.02.2021 को किसान सम्मान निधी योजना का अवेदन करने पर गलत नाम होने की वजह से आवेदन अमान्य होने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ । वादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस प्रेषित करवा दिया है। लेकिन वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से सरकारी योजनाओं के लाभ एवं परिलाभों से वंचित हो रहा है। इस वजह से वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80(2) जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां में अवस्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की पारित की जावे किः—

(अ) इन्द्राज दुरूस्त करते हुये वाके ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 38 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम घनश्याम के स्थान पर वादी का सही नाम ईन्द्रदेव दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 इन्द्रदेव पुत्र कन्हैयालाल जाति नाथ निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया । साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि मेरा सही नाम इन्द्रदेव है जबकि राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम गलत घनश्याम दर्ज है जिसको दुरूश्त किया जाकर मेरा नाम राजस्व रिकार्ड ग्राम एवं माल गोरधनपुरा की खाता संख्या 38 की आराजी कुल किता 2 का कुल रकबा 1.72 है0 में घनश्याम के स्थान पर सही नाम इन्द्रदेव दर्ज किया जावे। मेरे समस्त राजकीय दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंकतालिका, ड्राईविंग लाईसेन्स, पहचान पत्र सभी में मेरा सही नाम इन्द्रदेव ही है।

4. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 38 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम घनश्याम के स्थान पर वादी का सही नाम ईन्द्रदेव दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गोरधनपुरा की जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 38 की ख0नं0 34, 36 रकबा 1.72 है0 आराजी घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल के दर्ज खाता स्थित है। प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड में इन्द्र देव पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। पंजाब नेशनल बैंक की पास बुक में इन्द्र देव दर्ज है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक परीक्षा 1993 की अंकतालिका में इन्द्र देव योगी पुत्र कन्हैया लाल योगी दर्ज है। राशन कार्ड में इन्द्रदेव योगी दर्ज है। ड्राइविंग लाईसेंस में इन्द्रदेव योगी दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र में इन्द्रदेव पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। ग्राम पंचायत गोरधनपुरा के प्रमाण पत्र दिनांक 16.03.2021 के प्रमाण पत्र अनुसार इन्द्रदेव व घनश्याम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

6. रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार कर किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में खाता संख्या 38 का ख0नं0 34 का रकबा 0.48 है0, ख0नं0 36 का रकबा 1.24 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.72 है0 आराजी में खातेदार घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर सही नाम इन्द्रदेव उर्फ घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार

अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **23.05.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 28/2021

उनवान

1. ईन्द्रदेव आयु 43 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति नाथ निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0
बाबत इन्द्राज दुरूश्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....र................. रूबरू..............र..
बहाजिर :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में खाता संख्या 38 का ख0नं0 34 का रकबा 0.48 है0, ख0नं0 36 का रकबा 1.24 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.72 है0 आराजी में खातेदार घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर सही नाम इन्द्रदेव उर्फ घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)